

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन, पालारिवट्टम
कोचीन – 682 025, केरल

No.:MKT/SP/BM(95)/LOP/2024-2025

15.09.2025

मसाला पार्क, गुना, मध्य प्रदेश में भूमि पट्टे पर देने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति का निमंत्रण

स्पाइसेस बोर्ड ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के मावन गाँव में एक मसाला पार्क स्थापित किया है, जिसमें मसालों खासकर धनिया के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन हेतु सभी बुनियादी ढाँचे और उच्च-स्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बोर्ड ने प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए निर्यातकों को पट्टे के आधार पर भूखंड आवंटित करने के लिए निर्धारित किया है। अब, बोर्ड **गुना, मध्य प्रदेश** में स्थित मसाला पार्क में पट्टे पर दिए जाने हेतु प्रस्तावित निम्नलिखित भूखंडों पर मसाला प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए संभावित निवेशकों से रुचि-अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।

प्लॉट संख्या	क्षेत्र(एकड़ में)
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
19	1
20	1
21	1
22	1
23	1
24	1
25	1
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1
31	1
32	1

33	1
34	1
35	1
36	1
37	1
39	1
42	1
43	1
44	1
45	1
48	1
49	1
50	1
55	1
56	1
59	1
60	1
61	1
72	1

* भूखंडों का सीमांकन अभी चल रहा है तथा अंतिम क्षेत्र सर्वेक्षण एवं पुष्टि के अधीन है।

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आवंटन का प्रतिशत, बोर्ड के अधिकारियों की एक आंतरिक समिति द्वारा तय किया जाएगा, जिसे सचिव, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जो प्रत्येक मसाला पार्क में भूखंडों की योग्यता और उपलब्धता पर आधारित होगा।

भूमि को 5 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से एकमुश्त विकास शुल्क और 18% जीएसटी के भुगतान पर 15 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। विकास शुल्क के अतिरिक्त, 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से पट्टा किराया और 18% जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। पट्टा किराया आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकता है। अन्य नियम और शर्तें पट्टा समझौते के अनुसार होंगी।

इच्छुक निर्यातक जो पार्क का दौरा करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित पते पर प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं:

सहायक निदेशक
स्पाइसेस बोर्ड, प्रादेशिक कार्यालय
मसाला पार्क, मावन
गुना-473001, मध्य प्रदेश
मोबाइल : 9415312330

निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक 1) में रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) 15-10-2025 को शाम 5.30 बजे या उससे पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसके ऊपर "मसाला पार्क, गुना, मध्य प्रदेश में भूमि पट्टे पर देने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति" लिखा होना चाहिए, जिसे इस पते पर भेजा जाना चाहिए:

श्री बी.एन. झा
निदेशक (विपणन)
स्पाइसेस बोर्ड,
सुगंध भवन
पालारिवट्टम पी ओ
कोच्ची - 682025
केरल

पात्रता मापदंड:

सभी निर्यातक जो मसाला निर्यात के व्यवसाय में हैं और जिनके पास स्पाइसेस बोर्ड से मसाला निर्यातक के रूप में पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र (सीआरईएस) है, वे आवेदन करने के पात्र हैं।

प्राप्त ईओआई का मूल्यांकन भूखंडों के आवंटन के लिए निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

कुल अंक -100

- ऐसे निर्यातक जिन्होंने भारत में कहीं भी या मसाला बोर्ड द्वारा स्थापित किसी पार्क में मसाला प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर ली है और सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। * - 10 अंक
- पिछले 2 वर्षों के दौरान मूल्य के संदर्भ में निर्यात का औसत मूल्य - अधिकतम 25 अंक
- वित्तीय कारोबार - अधिकतम 20 अंक
- महिला वर्ग - 10 अंक
- स्टार्ट अप कंपनियाँ** - 10 अंक
- एससी/एसटी निर्यातक - 10 अंक
- डीपीआर - अधिकतम 15 अंक

* जब भी कोई निर्यातक दो या दो से अधिक मसाला पार्कों में भूखंडों के आवंटन के लिए ईओआई प्रस्तुत करता है, तो किसी अन्य पार्क में तब तक भूखंड आवंटन पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि पहले से आवंटित भूखंड में इकाई पूरी होकर कार्यात्मक न हो जाए।

*जिन निर्यातकों को स्पाइसेस बोर्ड द्वारा स्थापित किसी अन्य पार्क में भूखंड आवंटित किया गया है, लेकिन उन्होंने प्रतिबद्धता के अनुसार इकाई स्थापित नहीं की है, उन्हें नए आवंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

**उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के साथ पंजीकृत कंपनियां जिनकी न्यूनतम धुक्ता पूंजी 1 करोड़ रुपये हो।

मूल्य के संदर्भ में पिछले 2 वर्षों के निर्यात प्रदर्शन का मूल्यांकन मसाला बोर्ड/चाय बोर्ड/कॉफी बोर्ड/एपीडा को प्रस्तुत निर्यात रिटर्न के अनुसार किया जाएगा। आवेदकों को नीचे दी गई तालिका के अनुसार निर्यात के मूल्य के आधार पर अंक दिए जाएंगे:

पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात का मूल्य	अंक
1 करोड़ तक	5
1 करोड़ - 5 करोड़	10
5 करोड़ - 10 करोड़	15
10 करोड़ - 15 करोड़	20
15 करोड़ और उससे अधिक	25

वित्तीय कारोबार का मूल्यांकन, लेखापरीक्षित तुलन-पत्र / चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित नेटवर्थ के अनुसार फर्म के पिछले 2 वर्षों के कारोबार के औसत मूल्य के आधार पर किया जाएगा। आवेदकों को नीचे दी गई तालिका के अनुसार वित्तीय टर्नओवर के आधार पर अंक दिए जाएंगे:

पिछले 2 वर्षों के दौरान औसत कारोबार	अंक
5 करोड़ तक	5
5 करोड़ – 15 करोड़	10
15 करोड़ – 25 करोड़	15
25 करोड़ और उससे अधिक	20

स्टार्ट-अप के अलावा अन्य श्रेणियों के आवेदकों को वित्तीय टर्नओवर के प्रमाण के रूप में ऑडिटेड बैलेंस शीट जमा करनी होगी। स्टार्ट-अप के लिए, वित्तीय क्षमता के प्रमाण के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित नेटवर्थ जमा करनी होगी।

(नोट: आवेदन करने के लिए मानदंड यह होगा कि पिछले वित्तीय वर्ष में न्यूनतम टर्नओवर उपलब्धि 2 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, स्टार्टअप को छोड़कर, जहां स्टार्टअप ने पिछले वर्ष में कम से कम 50 लाख रुपये से कम का टर्नओवर हासिल नहीं किया होगा।)

*** डीपीआर का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:

- .परियोजना का दायरा
- .परियोजना की व्यवहार्यता
- .परियोजना के लिए प्रस्तावित निवेश
- .परियोजना को पूरा करने की समय अवधि

यदि आवेदक पात्रता की शर्तें पूरी करता है, तो उसे अनंतिम आवंटन पत्र इस शर्त पर जारी किया जाएगा कि आवेदक बैंक ऋण प्राप्त करने या अपने बैंक खाते में धनराशि उपलब्ध होने का प्रमाण प्रस्तुत करे अथवा योजना के अंतर्गत इकाई स्थापित करने हेतु योजना कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रमाण पत्र/अनुमोदन पत्र अनंतिम आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर प्रस्तुत करे। यदि तीन माह के भीतर धनराशि प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनंतिम आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा।

धनराशि जुटाने का प्रमाण प्राप्त होने पर, बोर्ड अंतिम आवंटन पत्र जारी करेगा, इस शर्त के साथ कि अंतिम आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 3 महीने के भीतर भूखंड पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए और अंतिम आवंटन पत्र मिलने के एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य पूरा करके व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया जाए। यदि देरी का उचित कारण हो, तो मामले के आधार पर अधिकतम 6 महीने का समय विस्तार दिया जाएगा। यदि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, तो भूखंड आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा।

बोर्ड बिना कोई कारण बताए किसी भी/सभी ईओआई आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

पट्टे की सामान्य नियम एवं शर्तें

- पट्टे की अवधि अंतिम आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 15 वर्ष (पन्ध्र वर्ष) तक होगी।
- पट्टेदार को पंजीकरण के वर्ष से आगामी वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह तक या उससे पहले पट्टाकर्ता को 1,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष (बोर्ड द्वारा संशोधन के अधीन) 18% जीएसटी या संशोधित दर के साथ पट्टा किराया का भुगतान करना होगा।
- पट्टेदार को आवंटित भूखंड के लिए प्रति एकड़ 5.00 लाख रुपये (18% जीएसटी अतिरिक्त) की दर से एकमुश्त गैर-वापसी योग्य विकास शुल्क का भुगतान करना होगा।
- अंतिम आवंटन पत्र जारी होने के 15 दिनों के बाद करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पट्टा करार का पंजीकरण करार पर हस्ताक्षर की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा भूखंड आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा और भुगतान किए गए विकास शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) का 5% प्रशासनिक व्यय के रूप में काट लिया जाएगा और शेष राशि पट्टेदार को वापस कर दी जाएगी।

5. प्रसंस्करण इकाई का निर्माण करार के पंजीकरण की तिथि से 3 महीने के भीतर शुरू किया जाना चाहिए, अन्यथा प्लॉट आवंटन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा और भुगतान किए गए विकास शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) का 30% प्रशासनिक व्यय के लिए काट लिया जाएगा और शेष राशि पट्टेदार को वापस कर दी जाएगी।
6. (क) प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य तथा परीक्षण कार्य करार के पंजीकरण की तिथि से 12 माह के भीतर पूरा किया जाएगा, अन्यथा प्लॉट आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा तथा भुगतान किए गए विकास शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) का 30% प्रशासनिक व्यय के लिए काट लिया जाएगा तथा शेष राशि पट्टेदार को वापस कर दी जाएगी।

(ख) यदि करार के पंजीकरण के 12 महीनों के भीतर इकाई का निर्माण पूरा होने और परीक्षण अवधि में देरी होती है और पट्टेदार बोर्ड से उचित कारणों से समय विस्तार का अनुरोध करता है, तो 50,000/- रुपये का एकमुश्त जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इकाई के पूरा होने और/या परीक्षण अवधि तक 10,000/- रुपये का मासिक जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम छह (6) महीनों के विस्तार के अधीन है। इस अवधि के बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा, भले ही निर्माण या परीक्षण अवधि अधूरी रह जाए।

7. यदि पट्टेदार किसी भी कारण से निर्माण शुरू होने के बाद और 9 महीने के भीतर इकाई के पूरा होने से पहले भूखंड को आत्मसमर्पण करना चाहता है, तो भुगतान किए गए विकास शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) का 50% प्रशासनिक खर्चों के लिए काट लिया जाएगा और शेष राशि पट्टेदार को वापस कर दी जाएगी।
8. बोर्ड और पट्टाधारकों के बीच समझौते की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के बाद, बोर्ड पट्टाधारकों से सामान्य बुनियादी ढांचे जैसे बिजली, पानी, सुरक्षा, सफाई आदि पर रखरखाव शुल्क का एक हिस्सा वसूलना शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. यदि प्लॉट धारक के पास प्लॉट की किरायेदारी के दौरान वैध सीआरईएस (मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र) नहीं है, तो बोर्ड को प्लॉट का आवंटन रद्द करने और पट्टा विलेख को समाप्त करने का अधिकार है।
10. किसी भी परिस्थिति में विभिन्न स्पाइसेस पाकों के बीच भूखंडों के हस्तांतरण की अनुमति नहीं है।
11. सफल ईओआई आवेदकों के लिए पट्टा समझौते में विस्तृत नियम और शर्तें शामिल की जाएंगी।

वैशिक न्याय

निदेशक [विपणन]

मसाला पार्क, गुना, मध्य प्रदेश में भूमि पट्टे पर देने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति

1.	कंपनी का नाम	
2.	मसाला निर्यातक के रूप में स्पाइसेस बोर्ड का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस) संख्या (यदि पंजीकृत हो)	
3.	एपेडा/कॉफी बोर्ड/चाय बोर्ड के साथ पंजीकरण का विवरण	
4.	क्या आप एससी/एसटी/महिला वर्ग/स्टार्ट-अप फर्म के लिए योग्य हैं (कृपया प्रमाण संलग्न करें)	
5.	संपर्क व्यक्ति का नाम	
6.	फोन और ईमेल सहित पता	
7.	पिछले 2 वर्षों के दौरान निर्यात का विवरण (मसाला निर्यात बोर्ड को प्रस्तुत निर्यात रिटर्न के माध्यम से सत्यापित)	वर्ष मात्रा निर्यातित मूल्य निर्यातित (टन) (लाख रुपये में) 2023-24 2024-25
8.	मसालों के अलावा अन्य निर्यातकों के लिए पिछले 2 वर्षों के दौरान निर्यात का विवरण	वर्ष मात्रा निर्यातित मूल्य निर्यातित (टन) (लाख रुपये में) 2023-24 2024-25
9.	वित्तीय कारोबार (प्रमाण संलग्न करें)	
10.	आवश्यक भूखंडों की संख्या एवं कुल क्षेत्रफल	
11.	प्लॉट संख्या की वरीयता	
12.	प्रसंस्करण हेतु प्रस्तावित मसालों का नाम, प्रस्तावित प्रसंस्करण का प्रकार और यदि भूखंड आवंटित किए गए हों तो अनुमानित प्रस्तावित निवेश	मसालों का नाम: प्रसंस्करण का प्रकार: अनुमानित निवेश:
13.	आवंटित भूखंडों में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित उद्योगों का विवरण (मसालों के अलावा अन्य निर्यातकों के लिए)	
14.	किसी भी अन्य जानकारी	

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं तथा मैं इसमें निर्धारित शर्तों से सहमत हूँ/हैं।

स्थान:
दिनांक:

संपर्क व्यक्ति के हस्ताक्षर
कंपनी का नाम मुहर सहित

Spices Board
(Ministry of Commerce & Industry, Government of India)
Sugandha Bhavan, Palarivattom
Cochin – 682 025, Kerala

No.:MKT/SP/BM(95)/LOP/2024-2025

15.09.2025

**INVITATION OF EXPRESSION OF INTEREST FOR LEASING OF LAND IN SPICES PARKS,
GUNA , MADHYA PRADESH**

Spices Board has established a Spices Park at Mawan village in Guna District of Madhya Pradesh with all basic infrastructure and high-end facilities for processing and value addition of spices especially for coriander. The Board has earmarked plots for allotting to exporters on lease basis for establishing processing units. Now, the Board invites Expression of Interest (EoI) from prospective investors for establishing Spices processing units/ allied industries in the following plots proposed to be leased out in the Spice Parks ,Guna.

Plot no	Area (acres)
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
19	1
20	1
21	1
22	1
23	1
24	1
25	1
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1

31	1
32	1
33	1
34	1
35	1
36	1
37	1
39	1
42	1
43	1
44	1
45	1
48	1
49	1
50	1
55	1
56	1
59	1
60	1
61	1
72	1

*The plots are currently under demarcation, and the final area is subject to survey and confirmation.

The percentage of allotment under different categories will be decided by an internal committee of the Board's officials approved by the Secretary, Spices Board based on merits and the availability of plots in each Spices Parks.

The land will be leased out for 15 years on payment of one-time development fee @ Rs.5 lakh per acre along with 18% GST. In addition to the development charges, lease rent @Rs.1000/- per acre per annum along with 18% GST extra shall be payable. The Lease rent is subject to revision as and when required. Other terms and conditions will be as per the lease agreement.

The interested exporters who wishes to visit the Park, may contact the officer in charge in the following address:

The Assistant Director,
Spices Board Regional Office,
Spices Park, Mavan,
Guna – 473 001
Madhya Pradesh
Mobile : 9415312330

The Expression of Interest (EOI) in the prescribed format (Annexure 1) should be submitted so as to reach on or before 5.30 pm on 15.10.2025 superscribing " EOI for allotting plots in Spices Park, Guna" addressed to:

Shri B N Jha
Director (Marketing)
Spices Board,
Sugandha Bhavan
Palarivattom P O, Kochi – 682025
Kerala

Eligibility Criteria:

All exporters who are in the business of exporting spices with a valid Certificate of Registration As Exporters Of Spices (CRES) from Spices Board or Exporters registered with APEDA / Tea Board /Coffee Board are eligible to apply.

The EOIs received will be evaluated as per the following criteria for allotment of plots.

Total Points -100

Exporters who ave already established and actively functional spice/ commodities under APEDA/ Tea/ Coffee processing units anywhere in India or in any Spices Board established Spices Park or any other Food Park - 10 points

Average value of exports in value terms during last 2 years – Max.25 points

Financial turn over- Max.20 points

Woman category – 10 points

Start up companies**- 10 points

SC/ST exporters- 10 points

DPR – Max 15 points

*Whenever an exporter submits EoI for allotment of plots in two or more than two Spices Parks, no further plot allotment will be considered in any other Park, until the unit is completed and functional in the plot already allotted.

*Exporters who have been allotted plots in any other Spices Board-established Park but have not established the unit as committed will not be considered for fresh allotment.

**Companies registered with Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) with Minimum Paid up capital of Rs.1 crore.

Export performance for the last 2 years in value terms would be evaluated as per the Export returns submitted to Spices Board/ Tea Board/ Coffee Board/ APEDA. The applicants will be given a score based on the value of exports as per the below table:

Value of exports during last two years	Score
Upto 1 Crore	5
1 Crore – 5 Crore	10
5 Crore – 10 Crore	15
10 Crore – 15 Crore	20
15 Crore and above	25

Financial turn over would be evaluated by taking average value of the turn over of the firm for the last 2 years as per the Audited balance sheet / Net-worth certified by Chartered Accountant. The applicants will be given a score based on the financial tun over as per the below table:

Average Turn over during last 2 years	Score
Upto 5 Crore	5
5 Crore – 15 Crore	10

15 Crore – 25 Crore	15
25 Crore and above	20

The applicants falling under categories other than Start ups , have to submit Audited balance sheet as a proof of financial turn over. For start-ups, Net-worth certified by Chartered Accountant has to be submitted as proof for financial capability.

(Note :For applying criteria will be minimum turnover achievement should not be less than 2 crores in the previous financial year except startup , where startups should have at least achieved a turnover of not less than 50 Lakhs in previous year.)

*** DPR would be evaluated based on the following criteria:

- .Scope of the project
- .Feasibility of the project
- .Proposed investment for the project
- .Time duration to complete the project

If the applicant satisfies the eligibility conditions, a provisional allotment letter will be issued to the applicant subject to the condition that the applicant would show the proof for availing bank loan or availability of funds in own bank account or certificate / approval letter for establishing unit under schemes from the scheme implementing agencies within 3 months from the date of issuance of provisional allotment letter. If the proof of sourcing the fund is not submitted within 3 months, the provisional allotment will automatically cancelled.

On receipt of the proof for sourcing up of fund, the Board will issue final allotment letter, with a condition to commence construction in the plot within 3 months from the date of issuance of final allotment letter and to complete the construction and commence the commercial production within 1 year from the final allotment letter. If there are reasonable justification for delay, a maximum of 6 months time extension would be given on case to case basis. If the milestones are not achieved, plot allotment will be automatically canceled.

The Board reserves the right to reject any / all EOI applications without assigning any reasons thereof.

General Terms & conditions of the lease

1. The period of lease is 15 years (fifteen years) commencing from the date of issuance of final allotment letter for Spices Park, Guna.
2. The lessee shall pay the lease rent @Rs.1,000/- per acre per annum (subject to revision by the Board) along with 18% GST or at the revised rate to the lessor on or before April of the succeeding financial year from the year of registration.
3. The lessee shall pay to the lessor a onetime non-refundable development charge @ Rs.5.00 lakhs (18 % GST extra) per acre for the allotted plot.
4. The agreement shall be signed after 15 days of issuance of final allotment letter. The Registration of the lease agreement shall be done within one month from the date of signing the agreement, failing which the plot allotment will be automatically cancelled and 5% of development charges (excluding GST) paid will be deducted towards administrative expenses and balance will be refunded to the Lessee.
5. The construction of the processing unit shall be commenced within 3 months from the date of registration of agreement, failing which the plot allotment will be automatically cancelled and 30% of development charges (excluding GST) paid will be deducted towards administrative expenses and balance will be refunded to the Lessee.
6. (a) The completion of construction and trial run of the processing unit shall be done within 12 months from the date of registration of the agreement, failing which the plot allotment will automatically cancelled and 30% of development charges (excluding GST) paid will be deducted towards administrative expenses and balance will be refunded to the Lessee.

(b) If there is delay in completion of the construction and conducting trial run of the unit within 12 months of registration of the agreement and if the lessee is requesting the Board for time extension with genuine reasons, Rs.50,000/- would be levied as one time penalty. Additionally, a monthly penalty of Rs.10,000/- will be imposed until the completion of the unit and/or trial run, subject to a maximum extension of six (6) months. No further extension shall be granted beyond this period, even if the construction or trial run remains incomplete.

7. If the Lessee for any reasons wishes to surrender the plot after commencement of construction and before completion of the unit within 9 months, 50% of the development charges (excluding GST) paid will be deducted towards administrative expenses and balance will be refunded to the Lessee.
8. The Board reserves the right to start collecting a share of the maintenance charges on common infrastructure viz. electricity, water, security, cleaning, etc, from the lease holders, after a period of 3 years from the date of agreement between the Board and the lease holders'.
9. The Board has the right to cancel the allotment of plot and to terminate the lease deed, if the plot holder do not have a valid CRES (Certificate of Registration as Exporter of Spices) during the tenancy of the plot.
10. Transfer of plots between different Spices Parks is not permitted under any circumstances.
11. Detailed terms and conditions will be included in the lease agreement to the successful EOI applicants.



DIRECTOR [MKTG]

EXPRESSION OF INTEREST FOR LEASING OF LAND IN SPICE PARK, GUNA .

1.	Name of the Company										
2.	Spices Board's valid Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) No. (if registered)										
3.	Details of registration with APEDA/Coffee Board/ Tea Board										
4.	Whether qualify for SC / ST / Woman category / Start-up firm (Pl attach proof)										
5.	Name of Contact person										
6.	Address with Phone & E-mail										
7.	Details of exports during last 2 years (Spice exports verified through Export returns submitted to the Board)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Qty Exported (Tons)</th> <th>Value Exported (Rs Lakhs)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023-24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024-25</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Year	Qty Exported (Tons)	Value Exported (Rs Lakhs)	2023-24			2024-25		
Year	Qty Exported (Tons)	Value Exported (Rs Lakhs)									
2023-24											
2024-25											
8.	Details of exports during last 2 years for exporters other than spices	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Qty Exported (Tons)</th> <th>Value Exported (Rs Lakhs)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023-24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024-25</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Year	Qty Exported (Tons)	Value Exported (Rs Lakhs)	2023-24			2024-25		
Year	Qty Exported (Tons)	Value Exported (Rs Lakhs)									
2023-24											
2024-25											
9.	Financial turn over (attach proof)										
10.	No. of Plots required & total area										
11.	Preference of Plot Nos										
12.	Name of spices proposed to be processed and type of processing proposed and approximate investment proposed, if plots are allotted	Name of spices: Type of Processing: Approximate Investment:									
13.	Details of industries proposed to be set up in the plots allotted (for exporters other than spices)										
14.	Any other information										

I /We hereby declare that the details furnished above are true to the best of my knowledge and belief and agree to the conditions stipulated therein.

Place:
Date :

Signature of Contact Person
Name of the Company with Seal

